

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 250/2016

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956
अनवान

1. शंभुलाल पिता रामस्वरूप लुहार जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी बिशनियां
 2. रामलाल पिता हरेदेव धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा
 3. रामू पत्नि भैरूलाल धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां
 4. जमना पत्नि मोहन धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां
 5. रामजस पिता रामनाथ धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां
 6. धापू पत्नि रामस्वरूप धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां
- तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
प्रार्थीगण

बनाम

1. रामरतन पिता उंकार धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां
 2. राजू पिता कनीराम धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां
 3. मोहन पिता कनीराम धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां
 4. गणेश पिता रामकुवंर धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां
 5. मोहन पिता रामकुवंर धाकड जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिशनियां
 6. श्रीकिशन पिता हीरा लुहार जाति लुहार उम्र वयस्क निवासी बिशनियां
 7. राजस्थान राज्य जरिये भू धारक तहसीलदार साहब कोटडी
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956

-:: आदेश ::-

दिनांक 15/03/2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 22/02/2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम - बिशनियां, पटवार हल्का - बिशनियां, भू.अ.नि.क्षेत्र पारोली, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की आराजी सं. 835 रकबा 12 बिस्वा, आराजी सं. 836 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल कीता 2 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते हैं एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक सवाईपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाड़ा

-:: आदेश ::-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम - बिशनियां, पटवार हल्का - बिशनियां, भू.अ.नि.क्षेत्र पारोली, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की आराजी सं. 835 रकबा 12 बिस्वा, आराजी सं. 836 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल कीता 2 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 500 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा